न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 144/2023

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
मदनलाल पुत्र चतुर्भज गहलोत निवासी– ओमसागर, ढाणाबेरा, मण्डोर, तहसील व जिला जोधपुर।		1. स्हायक अभियन्ता, VII सार्व0निर्माण विभाग, जोधपुर 2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर।

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 76 राज0 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 30.01.2023 जो अति0 जिला कलेक्टर प्रथम, जोधपुर के द्वारा राजस्व अपील संख्या 86/2022 अनवान मदनलाल बनाम सार्व0 निर्माण विभाग वगैराह में पारित किया।

उपस्थितिः–

1. श्री लादूराम पूनिया, अधिवक्ता **अपीलान्टस की ओर से।**
2. श्री नवल सिंह दहिया, राज0 **अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 व 2 की ओर से**

निर्णय

दिनांक 04 मार्च, 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के द्वारा अति0 जिला कलेक्टर प्रथम, जोधपुर के समक्ष तहसीलदार जोधपुर के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 17/2022 अनवान सरकार बनाम मदनलाल में पारित निर्णय दिनांक 16.09.2022 के विरूद्ध पेश की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.01.2023 के द्वारा खारिज कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह भी कथन किया कि ग्राम मण्डोर की ख0सं0 670 रकबा 18 बीघा 01 बिस्वा में से 1/3 हिस्सा भूमि अपीलार्थी की खातेदारी में आई हुई है जिसमें से 02 बीघा 16 बिस्वा भूमि को बिना किसी अवाप्ति व समर्पण के जरिये नामा0 संख्या 305 के सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज कर दिया गया।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.1.2023 एवं 16.09.2022 पूर्ण रूप से गलत विधि विपरित व त्रुटिपूर्ण है जिन्हें कायम नहीं रखा जा सकता है क्योंकि इनसे अपीलार्थी अपने मालिकाना खातेदारी व वास्तविक कब्जे की सम्पति

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

से बिना किसी मुआवजे के वंचित हो रही है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त रेस्पो0 संख्या एक ने एक शिकायत रेस्पो0 संख्या 2 को सडक के खसरा की भूमि में पक्की दीवार, मकान, कच्ची दीवाकर बनाकर किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने की पेश की। जिस पर पटवारी द्वारा धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम का प्रकरण पेश किया जिसमें ख0सं0 2048/677 पर बनी दुकान, प्लेटफॉर्म, कच्ची दीवार, प्याउ को हटाने की रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए अपीलार्थी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया जिस पर अपीलार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर एतराज जताया और उपरोक्तानुसार निर्माणों की स्थिति बताई तथा कभी भूमि अवाप्ति नहीं किया जाना बताया और धारा 91 की कार्यवाही को समाप्त करने का निवेदन किया। इसके बावजूद भी तहसीलदार जोधपुर ने दिनांक 16.9.22 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को उक्त कब्जा भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी परन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अपील को बिना कोई कारण दर्शाये अस्वीकार कर दिया।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि प्रश्नगत भूमि को राज्य सरकार के आदेश से सडक में दर्ज करना मानने में भारी भूल की है जबकि इस प्रकार का कोई आदेश न तो तहसीलदार की पत्रावली में था और न प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई आदेश पेश हुआ, ऐसे में जब कोई आदेश नहीं था तो सार्वजनिक निर्माण विभाग में नाम दर्ज करना पूर्णत गलत था। उक्त प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी की खातेदारी में वर्ष 1970 से आज दिन तक कब्जा में चली आ रही है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के पक्ष मे स्वीकृत हुए नामा0 संख्या 305 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष एक द्वितीय अपील पेश हो रखी है। इसके अतिरिक्त सहायक अभियन्ता, सार्व0 निर्माण विभाग ने अपनी रिपोर्ट के समर्थन में कोई बयान नहीं दिये। तहसीलदार द्वारा भी राजस्व रेकर्ड की बगैर जॉच किये ही सरसरी तौर पर अपीलाधीन बेदखली का आदेश पारित कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील को स्वीकार की जाकर अपीलाधीन दोनों आदेश क्रमशः 16.09.2022 व 30.01.2023 को अपास्त किया जावे।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्टस की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की प्रथम अपील को सारहीन होने के आधार पर तथा धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत की कार्यवाही को उचित ठहराते हुए अस्वीकार करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो यथावत बहाल रखा जावें।

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

हमने पक्षकारान के अधिवक्ता की ओर से की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों, न्यायिक दृष्टान्तों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट के द्वारा वादग्रस्त खसरे की रकबा भूमि (सडक) के सार्वजनिक निर्माण विभाग के पक्ष में स्वीकृत किये गये नामा0 संख्या 305 दिनांक 26.10.1977 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जिसे आदेश दिनांक 04.03.2024 के द्वारा अस्वीकार किया गया है। अपीलान्ट के विरूद्ध सार्वजनिक विभाग/तहसीलदार के द्वारा उसी नामा0 में दर्ज प्रश्नगत भूमि पर धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत बेदखली के आदेश पारित किये गये जिसके विरूद्ध प्रथम अपील को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्वीकार किये जाने पर यह द्वितीय अपील पेश की गई है। न्यायालय हाजा के द्वारा नामा0 संख्या 305 के विरूद्ध द्वितीय अपील को अस्वीकार कर दिये जाने से उक्त नामा0 संख्या 305 यथावत रखा गया है। ऐसे में उक्त पारित आदेश के दृष्टिगत अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत इस द्वितीय अपील को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा अति0 जिला कलेक्टर, प्रथम, जोधपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.2023 को बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 04 मार्च, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर